

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 18.09.2023

अव.वा.(सि.) 994/2023

न्यायालय का स्वयं का समावेदन

.....याचीगण

बनाम

जावेद हसन

.....प्रत्यर्थी

सि.वि.आ. 47617/2022 में

नि.प्र.अ. 300/2022 (निपटाया गया मामला)

जावेद हसन

.....अपीलकर्ता

बनाम

राजेश चोपड़ा और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति:

श्री जावेद हसन, व्यक्तिगत रूप से अवमानक
श्री चेतन लोकुर, न्याय मित्र, सह श्री वैभव कौल, अधिवक्ता
श्री पी. चौधरी और श्री अंकित चौधरी, अपील में में प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री न्यायाधीश प्रतीक जालान

प्रतीक जालान, न्याया. (मौखिक)

1. शीर्षक आवेदन और अवमान कार्यवाही श्री जावेद हसन [इसके पश्चात, "प्रतिवादी"]
अव.वा.(सि.) 994/2023 पृष्ठ सं 1

द्वारा दायर एक अपील से उत्पन्न होती है, सिविल वाद जिला एवं सत्र न्यायाधीशानं. 455/19 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-03, केंद्रीय तीस हजारी अदालतों, दिल्ली द्वारा पारित एक निर्णय और डिक्री के विरुध दायर की गई थी। अव.वा.(सि.) 994/2023 को नियमित प्रथम अपील 300/2022 में इस न्यायालय के दिनांकित 03.07.2023 के आदेश के अनुसार पंजीकृत किया गया है। सि.वि.आ.47617/2022 श्री राजेश चोपड़ा और श्री गोविंद पटेल, दायर किया गया है। वाद में वादकर्ताओ[इसके बाद, "वादी"], अपील में दिनांकित 01.08.2022 आदेश के संदर्भ में निर्देशों के लिए।

I. तथ्य।

2. अचल संपत्ति दुकान नंबर . 8, 9,10, और 11, नं.15-ए/52, प्लॉट नं.52, ब्लॉक - 15ए, वीए करोल बाग नई दिल्ली 110005 इसके पश्चात)"वाद सम्पत्ति"(पर कब्जा वापस पाने के लिए औरबकाया किराए का भुगतान, मासिक लाभ और बिजली लेने के लिए वादकर्ताओ के पक्ष द्वारा प्रतिवादी के विरुध विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-03 सेंट्रल तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली (सिविल वाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंबर 455/19), की न्यायालय में दिनांक 07.05.2019 को एक वाद दायर किया गया था।
3. वादकर्ताओ द्वारा की गई वाद हेतुक कारण यह था कि वे वाद की संपत्ति के मालिक थे, जिसे प्रतिवादी को 11 महीने की अवधि के मुकदमा [01.09.2017 से 31.07.2018 तक] एक पंजीकृत पट्टा विलेख के तहत प्रति माह 1,00,000 किराए पर दिया गया था।यह कहा गया था कि प्रतिवादी ने किराए के नियमित भुगतान में चूक की और पट्टे की अवधि समाप्त होने पर वाद संपत्ति को खाली करने में भी विफल रहा। वादकर्ताओ ने यह भी दावा किया कि प्रतिवादी ने परिसर को बहुत संरचनात्मक क्षति पहुंचाई थी, और बिजली के लिए खपत शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा। दिनांकित 18.02.2019 विधिक नोटिस जारी होने के बावजूद, प्रतिवादी द्वारा संपत्ति खाली करने में विफल रहने पर, वादी द्वारा उपरोक्त राहतों के लिए वाद दायर किया।

4. मुकदमे का प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद किया गया था लेकिन, वादकर्ताओ द्वारा दायर प्रवेश पर निर्णय के लिए एक आवेदन पर, दिनांकित 04.05.2022 को एक निर्णय द्वारा आंशिक रूप से फैसला सुनाया गया। विद्वान् विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने पट्टा विलेख के निष्पादन से इनकार नहीं किया, और वादकर्ताओ को अधिकार की डिक्री प्रदान की। प्रतिवादी को आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर वाद सम्पत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने अगस्त 2019 से वादकर्ताओ को परिसर सौंपने तक प्रति माह Rs.55,000/- की स्वीकृत दर पर किराए के अवशिष्ट के लिए एक डिक्री भी दी।

5. प्रतिवादी नियमित प्रथम अपील सं. 300/2022 में मामले को इस न्यायालय में ले गया, जिसका निपटान दिनांक 01.08.2022 के आदेश के माध्यम से किया गया था। आदेश के प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

"10. आज, अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री राधिका ने निर्देश पर न्यायालय को एक परिवचन दिया है कि अपीलकर्ता छह महीने की अवधि के भीतर परिसर खाली कर देगा और किराए के अवशिष्ट का भुगतान छह महीने के भीतर समान किशतों में किया जाएगा, जिसका भुगतान जनवरी, 2023 तक प्रत्येक कैलेंडर महीने की 25 तारीख को किया जाएगा।"

11. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता, अपने मुवक्किलों के निर्देश पर, प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थीगण को अपीलकर्ता द्वारा किसी भी चूक के मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ उक्त प्रस्ताव पर 'कोई आपत्ति नहीं' है।

12. **दोनों पक्ष आज न्यायालय में उनके द्वारा दिए गए परिवचन से बंधे हैं।**

13. उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, अपील और लंबित आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है।"

6. प्रतिवादी उक्त आदेश के अनुसार किराए के अवशिष्ट का भुगतान करने में विफल रहा। इसके कारण वादकर्ताओ को किराए के अवशिष्ट भुगतान के लिए दिनांक अव.वा.(सि.) 994/2023

2.11.2022 को सि.वि.आ. 47617/2022 दाखिल करना पड़ा था और प्रतिवादी द्वारा न्यायालय को दिए गए परिवचन के अनुपालन में चूक में वाद संपत्ति को खाली करने का निर्देश दिया

7. उक्त आवेदन में पारित दिनांक 30.01.2023 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी, जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद था, को दिनांकित 01.08.2022 के आदेश का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया गया था, और आवेदन को 02.02.2023 पर सूचीबद्ध किया गया था।

8. दिनांक 02.02.2003, को यह नोट किया गया की प्रतिवादी वाद की सम्पत्ति को खाली करने और किराए के अवशिष्ट भुगतान के संबंध में न्यायालय को दिए गए परिवचन का पालन करने में विफल रहा, लेकिन प्रतिवादी द्वारा दोनों निर्देशों का पालन करने के लिए दो माह के विस्तार की माँग की गई यद्यपि न्यायालय प्रतिवादी की कार्यवाई की निंदा करता है, वादी द्वारा इस तरह के विस्तार के अनुदान पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करने पर न्यायालय की ओर से निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"1. अपीलकर्ता ने इस न्यायालय को दिनांक 01.08.2022 के आदेश के माध्यम से एक परिवचन दिया था कि वह छह महीने की अवधि के भीतर परिसर खाली कर देगा और छह महीने के भीतर समान किश्तों में किराए के अवशिष्ट का भुगतान करेगा। हालाँकि, **अपीलकर्ता इस न्यायालय को दिए गए परिवचन का पालन करना** में विफल रहा है, उसने न तो वाद संपत्ति को खाली किया है और न ही किराए का कोई अवशिष्ट भुगतान किया है।

2. अपीलकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से पेश होता है, ने वाद परिसर को खाली करने के साथ-साथ किराए के अवशिष्ट का भुगतान करने के लिए आज से दो महीने का समय बढ़ाने की माँग की है।

3. यद्यपि न्यायालय दिनांकित 01.08.2022 आदेश का पालन न करने की अपीलकर्ता की कार्यवाई की निंदा करता है, न्याय के हित में, **अपीलकर्ता को दिनांकित 01.08.2022 आदेश का पालन करने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है।**

4. न्यायालय में उपस्थित अपने मुवक्किल के निर्देश पर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यदि अपीलकर्ता को वाद परिसर खाली करने के लिए 2 महीने की अतिरिक्त अवधि दी जाती है तो प्रत्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

5. **अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, यह**

न्यायालय वाद परिसर को खाली करने के साथ-साथ दिनांक 02.04.2023 पर किराए के अवशिष्ट का भुगतान करने के लिए आज से दो महीने का और समय देता है।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता बचाव करने की कोशिश कर रहा था इस आड़ में कि अपीलकर्ता के पूर्व वकील ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.08.2022 पर एक बयान दिया है और अपीलकर्ता को उस बयान के परिणामों के बारे में पता नहीं था।

7. आज, अपीलकर्ता ने एक अन्य अधिकता को नियुक्त **किया है और अपीलकर्ता के साथ-साथ अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को यह समझाया गया कि वह इस न्यायालय को दिए गए परिवचन से बंधा रहेगा और पत्रों में दिए गए आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा और न्यायालय को दिए गए वचन का कोई भी उल्लंघन न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी।**

8. इन अवलोकन के साथ, दिनांक 05.04.2023 पर सूचीबद्ध करें।²

9. जब दिनांक 10.04.2023 पर मामला उठाया गया तो प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व एक नए अधिवक्ता द्वारा किया गया था, और वह न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित था। न्यायालय ने नोट किया कि प्रतिवादी न्यायालय के आदेशों की अवमान कर रहा था, और निम्नलिखित निर्देश दिए:

"4. अपीलकर्ता ने इस न्यायालय को 01.08.2022 और 02.02.2023 पर दिए गए परिवचनों के बावजूद वाद परिसर को खाली नहीं किया है और न ही किराए के अवशिष्ट का भुगतान किया है। अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और दो अलग-अलग अवसरों पर इस न्यायालय को दिए गए वचन की पूरी तरह से अवमान करता है। अपीलकर्ता ने मुकदमे के दौरान कई वकीलों को भी बदल दिया है।

5. अपीलकर्ता पुनः व्यक्तिगत मुकदमा से उपस्थित हुआ है और वाद संपत्ति को खाली करने के लिए दो महीने के और विस्तार का अनुरोध किया है और यह भी आश्वासन दिया है कि किराए के अवशिष्ट का भुगतान दो महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। अपीलकर्ता का आचरण उसे किसी भी प्रकार का विस्तार देने के लिए न्यायालय में किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

6. प्रत्यर्थी व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ है और इस आश्वासन पर उसे दो महीने का विस्तार देने के लिए सहमत हो गया है कि किराए का अवशिष्ट आज से एक महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा। **प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता, अपने मुवक्किल के निर्देश पर, उसे केवल इस आश्वासन पर अंतिम विस्तार देने के लिए तैयार है कि अपीलकर्ता वाद के परिसर को खाली करने के इस न्यायालय से कोई**

और विस्तार नहीं मांगेगा और आज से एक महीने की अवधि के भीतर किराए के अवशिष्ट का भुगतान करेगा।

7. यद्यपि यह न्यायालय अपीलकर्ता की कार्रवाई की निंदा करता है और इस न्यायालय को दिनांक 01.08.2022 और दिनांक 02.02.2023, पर दिए गए परिवचनों का उल्लंघन करने के लिए अपीलकर्ता को अवमान नोटिस जारी करने पर विचार करता है, लेकिन व्यक्तिगत मुकदमा से उपस्थित होने वाले अपीलकर्ता को यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यदि वह आज से दो महीने की निर्धारित अवधि के भीतर वाद परिसर खाली करने और एक महीने की अवधि के भीतर किराए के सभी अवशिष्ट भुगतान करने में विफल रहता है, तो यह न्यायालय सुनवाई की अगली तारीख पर बहुत सख्त दृष्टिकोण अपनाएगा।

10. इसके पश्चात प्रतिवादी ने वाद परिसर को खाली करने के मुकदमा में दो वर्ष के के विस्तार के लिए सि.वि.आ. 18233/2023 दायर की किया। इस आवेदन को दिनांक 17.04.2023 पर अस्वीकार कर दिया गया था।

11. दिनांक 03.07.2023 के एक आदेश द्वारा, न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति और प्रतिवादी के इस प्रतिविरोध पर ध्यान दिया कि वह संपत्ति का उपयोग जारी रखना चाहता है और उसे खाली नहीं करना चाहता है। उन्होंने प्रतिविरोध किया कि उन्होंने गलत बयान देने के लिए उनकी ओर से पेश हुए तीन अधिवक्तागण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा पिछले अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से दिए गए परिवचनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिविरोध को प्रतिग्रहण नहीं किया और प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उसके खिलाफ अवमान की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। उन्हें सुनवाई की अगली तारीख से पहले अवमान नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अव.वा.(सि.) 994/2023 को इस आदेश के अनुसार पंजीकृत किया गया है।

12. सुनवाई की तिथि यानी दिनांक 27.07.2023 पर, प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था और उसने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की माँग की, जिसे लागत के भुगतान के अधीन दिया गया था। हालांकि न्यायालय ने प्रथमदृष्टया यह विचार

व्यक्त किया कि प्रतिवादी अवमान का दोषी था, विद्वान अधिवक्ता श्री चेतन लोकर से *न्याय मित्र* के रूप में *सहायता* करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहा था और उसने अवमान नोटिस का जवाब दायर नहीं किया था।

13. प्रतिवादी को दिनांक 16.08.2023 पर व्यक्तिगत रूप से सुना गया था, और आज भी। *विद्वान न्यायालय मित्र* और वादकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना गया। प्रतिवादी ने दोहराया कि वह वाद की संपत्ति को खाली करने का इरादा नहीं रखता है, और उनके पूर्व अधिकता ने उनके विश्वास को भंग किया था। उन्होंने प्रतिविरोध किया था कि उन्होंने वास्तव में वादकर्ताओं को देय किराए से अधिक का भुगतान किया था, हालांकि भुगतान नकद में किया था और जिसके लिए उनके पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था।

14. प्रतिवादी/अवमानकर्ता द्वारा दिनांक 16.08.2023 पर सौंपे गए अवमान नोटिस का जवाब रिकॉर्ड में लिया गया है, और मुझे सूचित किया गया है कि दिनांक 16.08.2023 के आदेश द्वारा अधिरोपित लागत का भुगतान कर दिया गया है। जवाब में, प्रतिवादी द्वारा कथित है की अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान उनके निर्देश के बिना दिए गए थे। उन्होंने अपील और डिक्री के गुणागुणों पर कुछ विवाद उठाने की भी माँग की है, जो इस स्तर पर उचित नहीं हैं।

II. विश्लेषण

अ. क्या प्रतिवादी ने अदालत की अवमान की है?

15. सिविल अवमान को न्यायालय अवमानन अधिनियम, 1971 [“अधिनियम”] की खंड 2 (ख) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“2. (ख) "सिविल अवमान" का अर्थ है किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या किसी न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर भंग करना।

16. अवमान क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के कई फैसलों में विचार किया गया है। इन पर हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी बनाम हीरालाल सोमाभाई ठेकेदार (मृत) विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत और ⁴अन्य, मामले में चर्चा की गई है। और वर्तमान मामले के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राधिकरणों का उद्धरण अनावश्यक है। बलवंतभाई सोमाभाई भंडारी⁵में न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि एक मुकदमेबाज़ को अवमान के लिए दंडित किया जा सकता है यदि वह न्यायालय के निर्णय या आदेश को जानता है और इसके परिणामों और निहितार्थ के प्रति सचेत होकर इसका उल्लंघन करता है। ऐसी परिस्थितियों में, अवज्ञा "जानबूझकर" होगी। जबकि अवमान क्षेत्राधिकार को निर्णय की त्रुटियों के लिए सभी भत्ते देते हुए, बहुत सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए, हालांकि, कानून के शासन के लिए यह अनिवार्य है कि जब न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाती है। मुवक्किल की ओर से अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को दिए गए वचन के रूप में आश्वासन का भंग किसी पक्ष को दिए गए परिवचन का विरोध करना भी अधिनियम की धारा 2 (ख) के तहत सिविल अवमान होगी।

17. वर्तमान मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, मेरा स्पष्ट विचार है कि प्रतिवादी ने निम्नलिखित कारणों से न्यायालय की अवमान की है:

क. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01.08.2022 पर एक परिवचन दिया गया था कि वाद परिसर छह महीने की अवधि के भीतर खाली कर दिया जाएगा, और किराए के अवशिष्ट का भुगतान भी उसी अवधि के भीतर समान किशतों में किया जाएगा। आदेश में यह दर्ज किया गया है कि परिवचन पत्र "निर्देशों पर" दिया गया था, और प्रतिवादी की बहन न्यायालय में उपस्थित थी। इन परिस्थितियों में, स्पष्ट

रूप से एक परिवचन न्यायालय को दिया गया था, न कि केवल वादकर्ताओं को।

- ख. 30.01.2023 दिनांकित आदेश द्वारा, न्यायालय ने प्रतिवादी को, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था, पूरी तरह से 01.08.2022 दिनांकित आदेश का पालन करने के लिए एक सकारात्मक निर्देश दिया। प्रतिवादी ऐसा करने में विफल रहा है।
- ग. दिनांक 02.02.2023 के आदेश में, दिनांक 01.08.2022 पर दिए गए परिवचन को "इस न्यायालय को दिया गया" के रूप में वर्णित किया गया था, और वादी के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से परिसर खाली करने और अवशिष्ट भुगतान करने के लिए दो महीने के समय के विस्तार के लिए प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था। न्यायालय ने विशेष रूप से प्रतिवादी के इस परिविरोध पर ध्यान दिया कि वह दिनांक 01.08.2022 पर उसकी ओर से दिए गए बयान के परिणामों से अवगत नहीं था और इसलिए, दर्ज किया कि उसे और उसके अधिवक्ता को यह समझाया गया था कि वह "इस न्यायालय को दिए गए परिवचन से बाध्य रहेगा" और यह कि "इस न्यायालय को दिए गए परिवचन का कोई भी उल्लंघन न्यायालय की अवमान माना जाएगा।"
- घ. दिनांकित 10.04.2023 आदेश में, न्यायालय ने पहले ही यह निष्कर्ष वापस कर दिया है कि प्रतिवादी इस न्यायालय के आदेशों की अवमान कर रहा था, जिसमें दो अलग-अलग अवसरों पर न्यायालय को दिए गए परिवचनों का भंग दर्ज किया गया है। इस अवसर पर भी, प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और परिसर खाली करने के लिए और समय का अनुरोध किया, जिसे वादकर्ताओं की सहमति से दिया गया था। उक्त आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी न्यायालय से कोई और विस्तार की मांग का हकदार

नहीं होगा, और दो महीने के भीतर वाद संपत्ति को खाली कर देगा और उक्त तिथि से एक महीने के भीतर किराए का भुगतान करेगा। न्यायालय ने अभिलिखित किया कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित प्रतिवादी को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि वह निर्धारित तिथि के भीतर परिसर खाली करने और एक महीने की अवधि के भीतर सभी बकाया किराए का भुगतान करने में विफल रहता है, तो न्यायालय इस मामले पर सख्त विचार करेगा। प्रतिवादी के दो साल के समय के और विस्तार के आवेदन को दिनांक 17.04.2023 के आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।

ड. उपरोक्त आदेशों में अभिलिखित स्पष्ट परिवचनों के आलोक में, प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से, मेरा विचार है कि प्रतिवादी ने न्यायालय को स्पष्ट वचन दिए थे, कि वह परिवचनों की प्रकृति से अवगत था, और जानबूझकर उसके अनुपालन में कार्य करने में विफल रहा है।

च. प्रतिवादी का बार-बार यह दावा कि उसे अधिवक्ता द्वारा गुमराह किया गया था, स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। अभिलिखित वचन प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे, और न्यायालय ने प्रतिवादी को भी स्वयं, समझाया था आदेश के निहितार्थ और उसके भंग के परिणाम।

छ. प्रतिवादी ने दिनांकित 01.08.2022, 02.02.2023 और 10.04.2023 आदेशों द्वारा दिए गए समय का लाभ उठाया है। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट रूप से न्यायालय के आदेशों के निहितार्थ को इस हद तक समझा कि उन्होंने वाद परिसर से बेदखली के लिए अपने दायित्व को स्थगित कर दिया। इन परिस्थितियों में, मैं उनके इस स्वयंसेवी दावे को प्रतिग्रहण करना नहीं करता कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवचनों के प्रभाव को नहीं समझते थे।

18. अवमानन नोटिस के जवाब में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रतिवादी ने फिर से तीन अधिवक्तागण पर दोष लगाने की मांग की है जो उसकी ओर से प्रस्तुत हुए हैं, और वास्तव में, वादी को भुगतान की गई कुल राशि के संबंध में तर्क दिए हैं। निम्नलिखित शब्दों को छोड़कर कोई माफी नहीं मांगी गई है:

“11. कि अवमानकर्ता आपके प्रभुता के लिए हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगता है। अवमानकर्ता असुविधा के लिए वास्तव में बहुत खेद व्यक्त करता है और इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में इस अवमान नोटिस को वापस लेने के लिए प्रार्थना करता है।”

19. यद्यपि न्यायालय के पास निस्संदेह अवमानकर्ता की माफी प्रतिग्रहण करना करने का क्षेत्राधिकार है, लेकिन मैं इस मामले में ऐसा करना उचित नहीं मानता। जैसा कि बलवंतभाई सोमाभाई *भंडारी में कहा गया है*, एक अवमानक को केवल न्यायालय से माफी की अभिव्यक्ति से उसके परिणामों से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह "आत्मनिरीक्षण, आत्म-आत्मनिरीक्षण, प्रायश्चित और आत्म-सुधार" का *एक गहरा नैतिक कार्य न हो।*" ⁶ उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि माफी की स्वीकृति में नरमी अनैतिक मुकदमेबाजों को न्यायालय द्वारा पारित आदेशों या न्यायालय को दिए गए परिवचनों की अवज्ञा करने या उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने वास्तव में बार-बार, दावा किया है और लगातार यह दावा करता रहा है यह कि वह न्यायालय को दिए गए परिवचनों के बावजूद वाद संपत्ति को खाली नहीं करना चाहता है। इसलिए, न्यायालय उनके द्वारा दी गई माफी को प्रतिग्रहण करने में असमर्थ है।

20. उपरोक्त कारणों से, मेरा मानना है कि प्रतिवादी ने जानबूझकर न्यायालय को दिए गए परिवचनों और न्यायालय के दिनांक 01.08.2022, 30.01.2023, 02.02.2023 और 10.04.2023 के आदेशों की अवज्ञा की है। अतः प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 2 (ख) में परिभाषित न्यायालय की अवमान का दोषी ठहराया जाता है। उसे सजा सुनाने के लिए

दिनांक 7.11.2023 पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ब. आगे के लिए निर्देश:

21. एक और सवाल उठता है कि न्यायालय अवमान को परिष्करण करने के क्या कदम उठा सकती है, कम से कम उस हद तक जब वादकर्ताओं द्वारा वाद संपत्ति का कब्जा वसूल किया जाता है। विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिनांकित 04.05.2022 डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही लंबित है। तथापि, वादकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पी. चौधरी प्रस्तुत करते हैं कि न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित बनाने के निर्देश इन कार्यवाहियों में भी दिए जा सकते हैं।

22. भारतीय स्टेट बैंक और *अन्य बनाम डॉ. विजय माल्या, 7 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टरूप से अभिनिर्धारित किया है कि अवमान करने वाले को उसके अवमानपूर्ण आचरण के लिए दंडित करने के अलावा, विधि की सर्वव्यापकता यह मांग कर सकती है कि न्यायालय द्वारा उचित निर्देश जारी किए जाएं ताकि इस तरह के अवमानपूर्ण आचरण के परिणामस्वरूप प्राप्त किसी भी लाभ को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए।*

23. वर्तमान मामला वह है जो इस तरह की शक्ति के प्रयोग की मांग करता है। प्रतिवादी को वाद की संपत्ति खाली करने के लिए पहले ही तीन बार समय दिया जा चुका है। प्रतिवादी वह ऐसा करने में विफल रहा है, और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने की इच्छा व्यक्त करता है। इस प्रकार उनका आचरण न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के अनुग्रह के लिए अपमानजनक और उदार अयोग्य बना हुआ है।

24. विद्वान न्यायालय मित्र ने यह सुझाव देने के लिए दो मामलों का हवाला दिया कि कब्जे का सवाल भी निष्पादन न्यायालय- आर. एन. डे और अन्य बनाम भाग्यबती प्रमाणिक और अन्य, 8 और जमना दतवानी बनाम किशिन दतवानी और अन्य 9 हालाँकि, ये निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अलग हैं। वे अवमानकर्ताओं द्वारा

न्यायालय को दिए गए परिवचनों से संबंधित नहीं हैं, जिनके बदले में उन्हें न्यायालय द्वारा प्रदत्त लाभ प्राप्त होता है। दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के कई निर्णयों, 10 में अचल संपत्ति के कब्जे के संबंध में दिए गए परिवचनों के मामलों सहित, 11 ने अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में न्यायालय की भूमिका पर जोर दिया है। मेरे विचार से ये निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों के बहुत करीब हैं।

25. इसके अलावा, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी द्वारा दिनांक 01.08.2022 पर दिए गए परिवचन को दर्ज करते समय, याचिगण के लिए व्यतिक्रम के मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई थी। उन्होंने नि.प्र.अ. 300/2022 में सि.वि.आ. 47617/2022 दाखिल करके ऐसा किया है। उपरोक्त आदेश पारित करने का न्यायालय का क्षेत्राधिकार उपरोक्त कार्यवाहियों से प्रभावित होता है।

26. प्रतिवादी, को आज से एक सप्ताह के भीतर वाद परिसर के खाली कब्जा को वादी को सौंपने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर निष्पादन न्यायालय सुनवाई की अगली तारीख पर आवश्यक दंडात्मक कदम उठाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक किराए के अवशिष्ट की वसूली का संबंध है, निष्पादन की कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रहेगी।

III. निष्कर्ष

27. उपरोक्त कारणों से, निम्नलिखित निर्देश पारित किए जाते हैं:

क. प्रतिवादी, जावेद हसन [अव.वा.(सि) 994/2023 में प्रतिवादी] को दर्ज किए गए उपक्रमों और इस न्यायालय के दिनांक 01.08.2022, 30.01.2023, 02.02.2023 और 10.04.2023 के आदेशों के भंग के लिए इस न्यायालय की सिविल अवमान का दोषी ठहराया गया है।

ख. सजा सुनाने के आदेश के लिए दिनांक 07.11.2023 पर

अव.वा.(सि) 994/2023 की सूची बनाएँ। अवमानकर्ता को उस तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।

- ग. प्रतिवादी को आज से एक सप्ताह के भीतर वाद संपत्ति (दुकान संख्या 8,9,10 और 11, संख्या 5-ए/52, प्लॉट No.52, ब्लॉक-15ए, डब्ल्यू. ई. ए., मुकदमा ोल बाग, नई दिल्ली-110005) का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा वादी को सौंपने का निर्देश दिया जाता है।
- घ. उपरोक्त निर्देश 12 (ग) के अनुपालन में चूक की स्थिति में, निष्पादक न्यायालय को सुनवाई की अगली तारीख को वाद परिसर के कब्जे की वसूली के लिए दंडात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है।
- ङ. निष्पादक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, विचारण न्यायालय की डिक्री के संदर्भ में और कब्जे की वसूली की तारीख तक, किराए के अवशिष्ट और अंत कालीन लाभों की वसूली के उद्देश्यों के लिए जारी रहेगी।
- च. इसके अलावा, प्रतिवादी पर रु. 1,00,000-की लागत लगाई जाती है, जिसे वादकर्ताओं द्वारा डिक्री से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही में भी वसूल कर सकते हैं।
- छ. नि.प्र.अ. 47617/2022 में सि.वि.आ. 300/2022 का निपटारा कर दिया गया है।

28. न्यायालय *न्याय मित्र* के रूप में अधिवक्ता श्री चेतन लोकुर द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करता है। उनसे सजा सुनाने के सवाल पर भी सुनवाई की तारीख अगली तारीख पर न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया जाता है।

सितंबर 18, 2023
एसएस /

प्रतीक जालान, न्याय.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।